न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4, जिला अमरोहा।

सत्र परीक्षण संख्या–259 / 2017
सी.एन.आर.नं0–यू.पी.जे.बी.010038062017

राज्य बनाम बरकत।
मु.अ.सं0–36 / 2016
धारा–302,201 भा0दं0सं0
थाना–गजरौला, जिला अमरोहा

16.09.2022

————:– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ नियत है। प्रा0पत्र 15बी. पर विगत तिथि को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी तसव्वुर की ओर से प्रा0पत्र 15बी. अतर्गत धारा 319 दं0 प्र0 सं0 प्रस्तुत करते हुए, कथन किया है कि उसकी पुत्री सकीना दवाई लेने गजरौला गयी थी लेकिन उसके घर ना लौटने पर दिनांक 04.02.2015 को थाना गजरौला पर सकीना की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। दिनांक 16.02.2015 को पुत्री का शव मुकुल त्रिवेदी के खेत के कुए स्थित जंगल ग्राम लक्ष्मीपुर कटटई थाना मुण्डा पाण्डे जिला मुरादाबाद में बरामद हुआ था जिस संबंध में मौ0 नईम ने एक अभियोग सं0–55 / 2015 धारा 302 / 202 भा0दं0सं0 थाना मूण्डा पाण्डे जिला मुरादाबाद में दर्ज कराया था, उसे अखवार के माध्यम से जानकारी हुई और अपने परिवार के साथ मुरादाबाद पहुंचा तथा अपनी बेटी के शव की शिनाख्त की। पुत्री के उसके गांव के शाकिर के साथ प्रेम संबंध थे और शाकिर व सकीना के बीच शारीरिक संबंध भी थे जिसको शाकिर ने स्वयं विवेचक महोदय के सामने स्वीकारा है लेकिन शाकिर ने दूसरी जगह निकाह कर लिया और पुत्री निकाह करने का दबाव बनाती रही जिस कारण शाकिर पुत्री को रास्ते से हटाना चाहता था। विवेचना के दौरान बरकत पुत्र गफूर का नाम प्रकाश में आया था, बरकत शाकिर का दोस्त है तथा दोनों साथ–साथ काम करते हैं। प्रार्थी न्यायालय में पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने जिरह में बयान किया है कि ''उसने दरोगाजी को पुत्री से शाकिर के अवैध संबंधों के बारे में बताया था और यह भी बयान किया था कि मुल्जिम बरकत की मेरे ही गांव के शाकिर से दोस्ती थी तथा उसने दरोगाजी को अपने बयानों में यह भी बात बतायी थी कि कि उसकी पुत्री की हत्या शाकिर व बरकत नही ही की थी। पी0डब्लू0–5 के रूप में परीक्षित साक्षी

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2022.09.17 16:45:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राजमीन ने बयान किया है कि ''सकीना मेरी बेटी थी, इसके प्रेम संबंध मेरे ही गांव के शाकिर से थे, शाकिर ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, मेरी पुत्री शाकिर से निकाह का दबाव बनाती थी परंतु शाकिर मेरे पुत्री को रास्ते से हटाना चाहता था''। थाना हाजा पुलिस द्वारा साक्ष्यों में हेर फेर करते हुए शाकिर को नामजद अभियुक्त नही बनाया है तथा मात्र बरकत के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया है। अब तक के बयानों के आधर पर शाकिर का सकीना की हत्या में संलिप्त होने के पर्याप्त सबूत हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त शाकिर को उचित धाराओं में तलब किये जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

उपरोक्त प्रा0पत्र 15बी. के प्रकाश में पत्रावली का गहनतम परिशीलन किया।

परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रपत्र सं0–4क/4 तहरीर वादी मुकदमा मौ0 नईम द्वारा इस आशय की दी गयी है कि ''आज दिनांक 16.02.2015 को हमारे गांव लक्ष्मीपुर कटटई से साहू नंगला जाने वाले रास्ते पर मिठठू पुत्र कल्लू के खेत के पास मुकूल त्रिवेदी के खेत के कुएं में एक महिला की लाश पड़ी है जिसके हाथ पैर बंधे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की हत्या की गयी है''।

इसी क्रम में पत्रावली पर संलग्न केसडायरी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी तसव्वुर को अखवार दिनांक 17.02.2015 के माध्यम से जानकारी हुई कि मूण्डा पाण्डे इलाके में एक जवान लड़की का शव बरामद हुआ है, वह अपने परिवार के साथ मुरादाबाद पहुंचा और अपनी बेटी सकीना के शव की शिनाख्त की। प्रार्थी तसव्वुर हुसैन ने न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित होकर शपथ पर यह कहा है कि ''मेरी लड़की सकीना के मेरे ही गांव के शाकिर से अवैध संबंध थे, मेरी लड़की सकीना साबिर से शादी करना चाहती थी, शाकिर ने अपनी शादी कर ली तथा मेरी लड़की सकीना अपनी शादी के लिए दबाव बनाती रही, शाकिर शादी के लिए मना करता रहा, हाजिर अदालत मुल्जिम बरकत की मेरे ही गांव के शाकिर से दोस्ती थी, शाकिर जे.सी. वी. चलाता था और बरकत डम्पर चलाता था और लड़की सकीना की हत्या शाकिर व बरकत ने ही की थी''।

साक्षी पी0डब्लू0–5 राजमीन ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर यह कहा है कि ''सकीना मेरी बेटी थी, इसके प्रेम संबंध मेरे ही गांव के साकिर से थे, साकिर ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, मेरी लड़की सकीना साकिर से निकाह करने का दबाव बनाती थी परंतु साकिर मेरी लड़की सकीना को रास्ते से हटाना चाहता था, घटना आज से करीब 7 साल पहले की है, सकीना गजरौला से दवाई लेने के लिए घर से कहकर आयी थी, शाम को सकीना घर नही पहुंची तो हम लोगों ने सकीना को काफी तलाश किया परंतु नही मिली, सकीना के गायब होने के संबंध में गुमशुदगी थाना गजरौला पर मेरे पति तसव्वुर ने लिखवायी थी, घटना से करीब 16–17 दिन बाद सकीना का शव मूण्डा पाण्डे के जंगल में मिला था, अखवार के माध्यम से हमे शव बरामद होने की सूचना मिली थी, मौके पर जहां मोर्चरी हाउस मुरादाबाद में लाश रखी थी, मैने व परिवार वालों ने सकीना की लाश को अच्छी तरह से पहचाना था, जुल्फिकार ने मुझे व मेरे पति को यह बताया था कि सकीना को मोटर साईकिल पर भानपुर फाटक पर साकिर व बरकत के साथ जाते हुए देखा था, हमारे गांव का साकिर गांव में व आसपास में जे.सी.बी. चलाता था, साकिर व बरकत में अच्छी दोस्ती थी और मेरी लड़की सकीना की हत्या साकिर व बरकत ने मिलकर की थी''।

विद्वान अधिवक्ता अभियोजन तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **देववती एवं अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2019 (106) ए.सी.सी. 947 (एस.सी.)** प्रस्तुत कर, न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसका न्यायालय द्वारा अत्यधिक सम्मानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन कर पाया गया कि ''दं0 प्र0 सं0 की धारा 319 में प्रथम दृष्टया साक्ष्य आने पर ही यह निर्धारित किया जाना है कि अमुक व्यक्ति भी कथित घटना कारित करने में सहयोगी थे और उनके द्वारा घटना कारित की गयी थी''। इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **हरदीप सिहं बनाम स्टेट आफ पंजाब एवं अन्य (2014) 2 एस.सी.सी. (क्रिमिनल)** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें भी यही मत व्यक्त किया गया है।

प्रश्नगत मामले में यद्यपि विवेचना के पश्चात अभियुक्त बरकत के

विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है लेकिन न्यायालय के समक्ष शपथ पर उक्त दोनो साक्षियों (पी0डब्लू0–1 तसव्वुर हुसैन व पी0डब्लू0–5 राजमीन) द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से मृतका सकीना की हत्या अभियुक्त बरकत के साथ–साथ प्रस्तावित अभियुक्त साकिर द्वारा भी किया जाना स्पष्ट रूप से कहा है। अतः समस्त विश्लेषण व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रस्तावित अभियुक्त साकिर की सहभागीदारी भी मृतका हत्या कारित किये जाने में थी और दोनों ने ही साथ मिलकर हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया है। अतः प्रस्तावित अभियुक्त साकिर धारा 302, 201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रा0पत्र 15बी. धारा 319 दं0 प्र0 सं0 स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रा0पत्र 15बी. अंतर्गत धारा 319 दं0 प्र0 सं0 स्वीकार किया जाता है। सत्र परीक्षण सं0–259/2017, अ0सं0–36/2016, राज्य बनाम बरकत, थाना गजरौला, जिला अमरोहा के मामले में प्रस्तावित अभियुक्त साकिर को धारा 302, 201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनांक 01.10.2022 के लिए तलब किया जाता है।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4
अमरोहा
16.09.2022